

## राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

रजि. कार्यालय: डी-ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-रक्षीम, जयपुर

GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3

फोन नं: 0141-2228060-61, फैक्स नं: 0141-2228065

CIN: U24232RJ2011SGC035067

ई-मेल : edf-frmse-rj@nic.in  
Website : rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.9( )/आरएमएससी/भण्डार/कड़ो./2019-20 / ५८७

निदेशक

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,  
राजस्थान, जयपुर।


विषय :- कम्प्यूटर मय ओपरेटर कार्य की ई-निविदा सूचना प्रकाशित करने के क्रम में।

### महोदय

पत्र के साथ संलग्न ई-निविदा सूचना छ: प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। आप से अनुरोध है कि निम्न समाचार पत्रों में ई-निविदा सूचना शीघ्र प्रकाशित करने एवं प्रकाशन का बिल राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि, जयपुर GSTIN-08AAFCR2824M1Z3 के नाम मिजवाने का श्रम करावे:-

1. राज्य सर का एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र जिसकी प्रसारण संख्या 50,000 प्रतिदिन या अधिक हो।
2. वृहत् परिचालन वाला राष्ट्रीय स्तर का एक दैनिक समाचार पत्र।

संलग्न: ई-निविदा सूचना की प्रति एवं सी.डी. में।



विशेषस्थिकारी, आरएमएससी

### प्रतिलिपि :-

1. ए.जी.एम. (आई.टी.), आरएमएससी को प्रेषित कर लेख है कि निगम की वेबसाइट rmsc.health.rajasthan.gov.in पर Upload करवाना सुनिश्चित कराएँ।
2. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।



विशेषस्थिकारी, आरएमएससी

# राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

रजि. कार्यालय: डी-ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नं: 0141-2228060-61, फैक्स नं: 0141-2228065

CIN: U24232RJ2011SGC035067

GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3

ई-मेल : edfirmsc-rj@nic.in

Website : rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ०९( )/आरएमएससी/भण्डार/क.ओ. /2019-20 / पृ१८

दिनांक: २७/६/१९

## ई-निविदा सूचना कम्प्यूटर मय ओपरेटर हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के 12 माह के लिए

निगम द्वारा दिनांक 01.08.2019 से 31.07.2020 तक अथात् 12 माह हेतु जॉब आधारित कम्प्यूटर मय ओपरेटर सेवा कार्य की दर संविदा हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्मा से ई-निविदाएँ निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती हैं:-

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि (₹ लाखों में)	बोली प्रतिमूलि (bid security) (₹ में)	ई-निविदा शुल्क (₹)	RISL मीटिंग की तिथि व समय	प्रि-बिल शुल्क (₹)	ई-निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि एवं समय	ई-निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	ई-निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय
1.	जॉब आधारित कम्प्यूटर मय ओपरेटर सेवा कार्य	19.00	38000.00	2000.00	1000.00	12.07.19 3.30 बजे	24.07.19 12.00 बजे तक	24.07.19 03.00 PM तक	24.07.19 05.00 PM

ई-निविदा प्रपत्र वेबसाइट "<http://eproc.rajasthan.gov.in>" से डाउनलोड किया जा सकता है एवं वेबसाइट "<http://www.dipronline.org>" , <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं <http://rmsc.health.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है। ई-निविदा ऑनलाइन इलेक्ट्रोनिक्स फोरमेट में वेबसाइट " <http://eproc.rajasthan.gov.in>" पर ही प्रस्तुत की जाएगी। ई-निविदा प्रपत्र शुल्क राशि ₹ 2000.00, RISL प्रोसेसिंग फीस राशि ₹ 1000.00 व बोली प्रतिमूलि (bid security) के अलांक-अलंक डी.डी./बी.सी. दिनांक 24.07.2019 समय दोपहर 3.00 बजे तक निगम कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है अथवा तीन पृथक-पृथक निधारित प्रारूप में चालान (प्रपत्र-शा) द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या-2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्कैन्ड प्रति (scanned copy) ई-निविदा के समय 24.07.2019 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाइट <http://rmsc.health.rajasthan.gov.in> पर e-deposit के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए निविदा प्रपत्र शुल्क, RISL प्रोसेसिंग फीस एवं बोली प्रतिमूलि (bid security) जमा करवाते हुए ई-निविदा के समय 24.07.2019 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Generated Scanned copy Upload की जा सकती है।

विशेषाधिकारी, आरएमएससी

## ई—निविदा

कम्प्यूटर मय ओपरेटर हेतु ई—निविदा सूचना  
वित्तीय वर्ष 2019—20 के 12 माह हेतु

निविदा क्रमांक :	एफ.90 /आरएमएससी /भण्डार /क.ओ./2019—20 / दिनांक:		
प्रि—बिड दिनांक, समय व स्थान :	12.07.2019 समय अपराह्न 3.30 बजे स्थान कमरा संख्या—205 गाँधी—ब्लॉक, आरएमएससी भवन, स्वास्थ्य भवन परिसर, जयपुर (राज.)		
ऑनलाईन बिड प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय :	24.07.2019 समय अपराह्न 3.00 बजे तक		
RISL प्रपत्र शुल्क:	₹ 2000.00	आरएमएससी, जयपुर के पक्ष में देय	

RISL प्रोसेसिंग शुल्क: ₹ 1000.00 (आरआईएसएल, जयपुर के पक्ष में देय)

ई—निविदा प्रपत्र शुल्क, आरआईएसएल, प्रोसेसिंग फीस एवं बोली प्रतिभूति (bid security) के डी.डी./बैंकर चैक उपर्युक्त नाम से प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, गाँधी—ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी—रक्कीम, जयपुर के कक्ष संख्या 105 में दिनांक 24.07.2019 समय दोपहर 3.00 बजे तक भौतिक रूप से (Physically) प्रस्तुत करने होंगे अथवा तीन पृथक—पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान (प्रपत्र—‘य’) द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या—2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए रक्केन्ड प्रति (scanned copy) ई—निविदा के समय 24.07.2019 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाइट rmsc.health.rajasthan.gov.in पर e-deposit के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए निविदा प्रपत्र शुल्क, RISL प्रोसेसिंग फीस एवं बोली प्रतिभूति (bid security) जमा करवाते हुए ई—निविदा के समय 24.07.2019 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Generated Scanned copy Upload की जा सकती है।

# राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

रजि. कार्यालय: डी-ब्लॉक, खाल्य भवन, तिलक मार्ग, सी-रक्षीम, जयपुर

GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3

फोन नं: 0141-2228060-61, फैक्स नं: 0141-2228965

CIN: U24232RJ2011SGC035067

क्रमांक : एफ०९( )/आरएमएससी/भाफडार/का.ओ./2019-20/

ई-मेल : edfrmsc-rj@nic.in  
Website : rmsc.health.rajasthan.gov.in

दिनांक:

कार्य की अनुमति लागत –₹ 19.00 लाख  
बोली प्रतिशुत (bid security)–₹ 38000/-

प्रपत्र 'आ' तकनीकी बिड  
ऑनलाईन ई-निविदा जमा कराने

की अन्तिम तिथि— 24.07.2019

समय 3.00 बजे तक

ई-निविदा प्रपत्र शुल्क—₹ 2000.00

## कम्प्यूटर मय ओपरेटर की दर संविदा हेतु ई-निविदा प्रपत्र

1. कम्प्यूटर मय ओपरेटर के लिए ई-निविदा :—
2. ई-निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, .....
3. डाक का पता एवं टेलीफोन नं. लोण्डलाईन, मोबाईल व ई-मेल सहित एवं पेन नम्बर .....
4. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, समधक सूत्र व्यावित का नाम एवं मोबाईल नम्बर .....
5. किसको संबोधित किया गया — प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर।
6. ई-निविदा सूचना संदर्भ एफ ९( )/आरएमएससी /भण्डार/क.ओ./2019-20/ दिनांक
7. हम प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर द्वारा जारी की गई ई-निविदा सूचना संख्या ..... दिनांक ..... में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त ई-निविदा सूचना की अतिलिक शर्तों से बाल्य होना स्थिकार करते हैं।
8. ई-निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 'ब' में जॉब आधारित कम्प्यूटर मय ओपरेटर सेवा कार्य संबंधी दरें अंकित हैं। वस्तु एवं सेवाकर (GST) की दरें पृथक् से दर्शाई जानी हैं।
9. जॉब आधारित कम्प्यूटर ओपरेटरसेवा इकाई की आवश्यकतानुसार आपूर्ति मांग के 24 घंटे की अवधि में कर दी जाएगी। निगम द्वारा आवश्यकतानुसार सेवा इकाई में कभी या वृद्धि की जा सकती है।
10. जॉब आधारित कम्प्यूटर ओपरेटरसेवा कार्य हेतु प्रपत्र 'ब' में दी गई दरें विचोय वर्ष 2019-20 के 12 माह (01.08.2019 से 31.07.2020) के लिए हैं जिसे आपसी सहमति से 3 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।

11. ई-निविदा सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति (bid security) के रूप में बैंक ड्राफ्ट / बैंकर चैक संख्या ..... दिनांक ..... राशि ..... जौतिक रूप (Physically) से प्रबन्ध निवेशक, आरएमएससी के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है अथवा पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान (प्रपत्र-'श) द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत रिथर किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या— 2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्कैन्ड प्राप्ति (scanned copy) ई-निविदा के समय 24.07.2019 अपराह्न 03:00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाइट rmsc.health.rajasthan.gov.in पर e-deposit के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए बोली प्रतिभूति (bid security) जमा करवाते हुए ई-निविदा के समय 24.07.2019 अपराह्न 03:00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Generated Scanned copy Upload की जा सकती है।
12. दर्ता ओवर प्रमाण पत्र (अपनतर्स) संलग्न है।
13. पूर्व में समान प्रकृति के कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का प्रमाण पत्र (अपनतर्स) संलग्न है।
14. ई-निविदा की विधिमान्यता की कालाचाधि तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक से अधिकतम 90 दिन होगी।
15. तकनीकी निविदा में Responsive निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

# राजस्थान मेडिकल सोर्वेज कॉर्पोरेशन लि.

रजि. कार्यालय: झी-ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नं. 0141-2228060-61, फैक्स नं. 0141-2228065

GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3

CIN: U24232RJ2011SGC035067

ई-मेल : edf-rmsc-rj@nic.in

Website : rmsc.health.rajasthan.gov.in

दिनांक: एफ.आर./आरएमएससी/भूजार /क.ओ./2019-20/

## निविदा की शर्तेः—

1. फर्म / कम्पनी द्वारा न्यूनतम दो सरकारी विभागों / उपक्रमों में इस तरह का कार्यगुम्बद विवर संलग्न करना अनिवार्य है एवं उन विभागों / उपक्रमों का संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र अनुबंध अवधि के दौरान संविदा कर्मचारियों का EPF एवं ESI अंशदान समय पर जमा करा दिया गया है एवं फर्म उक्त राशि जमा कराने में डिफाल्टर नहीं है। उक्त प्रमाण पत्र दिनांक 01.06.2019 के बाद जारी किया हुआ होना चाहिए।
2. सेवाओं हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्तियों एवं कम्प्यूटर को प्रबंध निदेशक, आरएमएससी अथवा उनके अधीनस्थ अन्य अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्यालय में स्थापित करना होगा एवं उनके द्वारा दिये जाने वाली सेवा / संबंधित कार्य करना होगा।
3. जो भी व्यक्ति लगाये जायेंगे, उन्हें राजस्थान मेडिकल स्विर्सेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर के कार्यालय में प्रातः 9:30 बजे उपस्थित होना होगा एवं साथः 6:00 बजे तक रुकना होगा।
4. यदि सेवा-संबंधित कार्य की उक्त समय से पूर्व/पश्यत् अथवा राजपत्रित अवकाश के दिन आवश्यकता पड़ती है, तो उक्त व्यक्ति / व्यक्तियों को तदानुसार उपस्थित होकर सेवा प्रदान करनी होगी। इसके लिए निगम द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
5. सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों का कार्य यदि संतोषजनक नहीं होगा तो प्रबंध निदेशक, आरएमएससी या उसके निर्देष्ट अधिकारी के निर्देश पर सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था को तत्काल उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति उपलब्ध कराना होगा।
6. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था के स्तर पर उपलब्ध कराये गए व्यक्तियों का चाल-चलन अच्छा होना चाहिए एवं उनके संबंध में ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
7. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गए व्यक्तियों के पारिश्रमिक राशि का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा आपूर्तिकर्ता संस्था को ही किया जावेगा। भुगतान के संबंध में इस कार्यालय का सेवा व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं होगा।
8. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा समय पर व्यक्तियों के उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में, अनुपस्थित दिनों का वेतन आनुपातिक रूप से काट लिया जाएगा, विशेष परिस्थितियों में यदि अन्यत्र कहीं से व्यक्तियों को लेकर कार्य करवाया जाता है तो इस हेतु किये गये अधिक भुगतान की वसूली ठेकेदार से की जाएगी।
9. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि को जब कभी भी वार्ता हेतु कार्यालय बुलाया जाए तो उसे उपस्थित होना होगा।
10. उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों में से यदि किसी ने कोई अनियमितता की तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था की होगी।
11. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

## 12. आवेदन के लिए वांछित पात्रता

- a) निविदादाता सेवा प्रदाता फर्म/कम्पनी/सोसाइटी का विगत तीन वर्षों (2015–16, 2016–17 एवं 2017–18) अथवा (2016–17, 2017–18 एवं 2018–19) का औसत टर्न ऑवर ₹ 25.00 लाख प्रतिवर्ष हो। इस हेतु वांछित सनदी लेखाकार से प्रामाणिक दस्तावेज बैलेंश शीट, Profit and Loss A/c, Receipt & Payment/Income-expenditure A/c आदि अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

- b) बोलीदाता / संबेदक द्वारा गत 03 वित्तीय वर्ष (2016–17, 2017–18 एवं 2018–19) में केन्द्र / राज्य / राजकीय विभाग / उपक्रम / संस्थाएँ/परियोजनाएँ / बोर्ड / समिति / आयोग / शिक्षण संस्था / बैंकों में न्यूनतम 16 कम्प्यूटर प्रिन्टर मय प्रशिक्षित कार्मिक / भैनपावर एक ही समयावधि में कम से कम एक वर्ष तक निरन्तर सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है, जिसका निम्नलिखित विवरण त्रुत्तार निर्धारित कॉलम में अंकन कर दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्कैन कर खोली दस्तावेजों के साथ लगाना होगा:-

क्र.सं.	विभाग / संस्थान का नाम	उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर प्रिन्टर मय प्रशिक्षित कार्मिक / भैनपावर का आदेश विवरण एवं संख्या	उपलब्ध कम्प्यूटर प्रिन्टर मय प्रशिक्षित कार्मिक / भैनपावर की समर्थावशि	कराये गये सर्वाधित विभाग / संस्थान से जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र का अंकन

- c) आवेदक को पंजीकृत कार्यालय/शाखा का पूर्ण पता, दूरभाष नम्बर, फैक्स नम्बर एवं E-mail ID सहित होना अनिवार्य है।

- d) सेवा प्रदाता का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है।  
e) यदि कोई निविदादाता पूर्व के अनुबन्धों में EPF/ESI अंशदान जमा कराने में डिफाल्टर रहा है तो उसको तकनीकी रूप से अपात्र (Non-Responsive) माना जाएगा एवं उसकी वित्तीय निविदा नहीं खोली जाएगी।

## 13. कम्प्यूटर मय आवश्यक दिशा-निर्देश।-

कम्प्यूटर प्रशिक्षितकरण	<p>1. Machine Specifications</p> <p>A. Computer- Intel Core i3/Equivalent AMD based Computer Processor- 2.4 GHz or higher, RAM 2 GB or higher, Hard Disk 250 GB or more, 1st Monitor/IIFT or bigger, 10/100/1000 Mbps LAN Card, CD/DVD writer, Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, Parallel &amp; USB Ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS Office, Responsibility of software licence will be borne by the contractor.</p> <p>B. Printer – Black and white laser printer with speed 15 ppm or more. For specific needs, Dot Matrix/inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.</p> <p>C. UPS- Online/Offline UPS for above Computer and printer with 30 minutes battery backup.</p>
भैन पौरवर	<p>2. Manpower- The Personnel should be graduate, should have knowledge to operate computer in Windows/Linux environment. Good Knowledge/Practice in word processor, spread sheets and Internet operations and should have sufficient speed of typing in Hindi and English.</p>

**14. सेवा प्रदाता फर्म द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।—**

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	कस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान डुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एवट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एकट 1956 के अन्तर्गत				

#### **15. ई-निविदा का खोला जाना**

दिनांक 24.07.2019 को सांयः 3 बजे तक प्राप्त/Upload ई-निविदा प्रपत्रों की तकनीकी बिड दिनांक 24.07.2019 सायः 5 बजे उपरिथि ई-निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

#### **16. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि**

सफल निविदादाता को कार्यादेश राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति को (Performance Security) जरिये हिमाण्ड झपट या बैंक पे-आईर प्रबंध निदेशक, आएमएससी के नाम जो जयपुर में भुगतान योग्य हो, के माध्यम से जमा करानी होगी। पूर्व में बोली प्रतिभूति (bid Security) के रूप में जमा राशि समायोजित की जा सकेगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वार्छित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेगी अन्यथा कि स्थिति में यह पूर्ण रूप से / अंशतः जब्त की जा सकेगी।

MSME फर्मों को बोली प्रतिभूति एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति में नियमानुसार छुट प्रदान की जाएगी।

#### **17. उत्तरदायित्व**

सेवा सम्पादन के दौरान मैन पॉवर की किसी प्रकार की दुर्घटना या भारत/राजस्थान में प्रचलित किसी कानून/नियम/अधिनियम/उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सेवा हेतु रखे गए कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

**18. ई-निविदा को स्वीकार /अस्वीकार करने की शक्तियाँ**  
निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण रूप से या आशिक रूप से अस्वीकार करने के सम्पूर्ण अधिकार प्रबंध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर को हों। साथ ही स्वीकृत न्यूनतम दर पर एक या एक से अधिक ई-निविदादाताओं को कार्य विभाजन का भी अधिकार होगा। यह अनिवार्य नहीं की असफल निविदादाता के साथ पत्र व्यवहार करें या उनके पत्र व्यवहार का जवाब दिया जाएँ। एक बार ई-निविदा प्रस्तुत कर देने के पश्चात् वापस लेने का अधिकार किसी निविदादाता को नहीं होगा। अपूर्ण ई-निविदा फर्म रद्द कर दिए जाएँ। ई-निविदा में प्राप्त दरें बातचीत (Negotiation) एवं बिना बातचीत स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार निगम को होंगे जो निविदादाता के लिए बाध्यकारी होंगे।

**19. अनुमानित राशि का आंकलन**

उपर्युक्त बिन्दु संख्या-1 में वर्णित कम्प्यूटर मय ओपरेटर की संख्या अनुमानित है, जिसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन समावित है। उक्तानुसार कार्य की अनुमानित लागत राशि ₹ 19.00 लाख है। निगम द्वारा स्त्रोत पर नियमानुसार आयकर की कटौती कर राशि का भुगतान किया जाएगा।

**20. निविदा अनुबंध की अवधि**

अनुबंध की अवधि 12 माह (01.08.2019 से 31.07.2020) के लिए होगी तथा जो परस्पर सहमति से 03 माह बढ़ाई जा सकती है।

**21. अनुबंध**

सफल निविदादाता को निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार नियमानुसार निर्धारित राशि ₹ 1,000/- के नीन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर एक अनुबंध सम्पादित करना होगा जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। दोनों पक्षों को उक्त अनुबंध की प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि निविदादाता उक्त शर्तों का उल्लंघन करता है तो अनुबंध किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूच्यना के समाप्त कर दिया जाएगा। तथा उक्त कार्य अनुबंधकर्ता की Risk and Cost पर अन्य व्यक्ति से करा लिया जाएगा। यदि करार के पश्चात् कम्प्यूटर मय ओपरेटर सेवाएँ बढ़ाई/घटाई जा सकती हैं।

**22. भुगतान की शर्तें**

बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल निविदादाता, सेवा प्रदाता को प्रतिमाह बायोमेट्रिक की उपस्थिति के आधार पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल निगम मुख्यालय पर प्रस्तुत करने होंगे। निगम द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से निविदादाता /सेवा प्रदाता को RTGS/NEFT द्वारा किया जाएगा एवं अनुपस्थिति के दिवसों हेतु आनुपातिक कटौती की जाएगी।

**23. भुगतान की जिम्मेदारी**

निगम द्वारा निविदादाता (सेवा प्रदाता) को मासिक आधार पर सेवाओं के संतोषजनक होने पर प्रस्तुत किए गए बिलों का भुगतान किया जाएगा। अन्य किसी भी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होगा। कम्प्यूटर ओपरेटरसेवा इकाई को प्रतिमाह पारिश्रमिक का भुगतान निविदादाता (सेवाप्रदाता) फर्म द्वारा किया जाएगा।

## 24. मध्यरथ

निविदा की किसी भी शर्त/शर्तों के संबंध में निम्न का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

## 25. कार्यादेश का निरस्तीकरण

निगम को किसी भी कार्यादेश को निरस्तीकरण पेटे बिना कोई भुगतान किए पूर्णतः/आंशिक रूप से निरस्तीकरण के सम्पूर्ण अधिकार होंगे लेकिन यह मात्र असामान्य/विशेष परिस्थितियों में ही हो सकेगा।

## 26. निविदा शर्तों की स्वीकारोक्ति

निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा भरते समय निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने लघु हस्ताक्षर करेगा जिससे यह माना जाएगा कि उसने प्रत्येक शर्त पढ़ / समझ ली है तथा उसे /उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित निविदाएँ निरस्त की जा सकती हैं। भारत /राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर /लेवी की वस्तुली सफल निविदादाता के बिल से कटौती निगम द्वारा की जाएगी।

27. ई-निविदा की अन्य शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-II के नियम 68 ई-निविदा एवं संविदा की शर्तें एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार लागू होंगी।
28. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लॉक लिस्टेड फर्म ई-निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपते हुए अपनी ई-निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid Security) / कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।

29. कम्प्यूटर मय ओपरेटर को BOQ के अनुसार अनुमोदित मजदूरी का भुगतान करने तथा उनके ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान को संबंधित विभागों में निर्धारित तिथि तक जमा कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी। यदि अंशदान विलम्ब से जमा कराया जाता है तो निगम द्वारा किसी भी प्रकार के विलम्ब शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि राज्य सरकार द्वारा च्यूनतम मजदूरी की दरों एवं ई.पी.एफ./ई.एस.आई. की दरों में वृद्धि की जाती है तो कम्प्यूटर मय ओपरेटर की मजदूरी का भुगतान संशोधित दरों के आधार पर किया जाएगा।
30. कम्प्यूटर मय ओपरेटर के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. विभाग में पंजीकृत होने एवं उनके यू.ए.एन./यूनिक आईडी नम्बर प्राप्त करने का दायित्व अनुबंधकर्ता का होगा तथा कम्प्यूटर मय ओपरेटर के यू.ए.एन./यूनिक आईडी नम्बर की सूची निगम को उपलब्ध करवायी होगी।

31. कम्प्यूटर मय ओपरेटर की ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान की राशि संबंधित विभागों में जमा कराने की मासिक सूचना मय चालानों की प्रति के आगले माह के बिल के साथ निगम को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही गत माह में कम्प्यूटर ओपरेटरों को किए गए भुगतान का विवरण भी आगमी महीने के बिल के साथ निम्न प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा यदि निविदादाता द्वारा

निरन्तर 02 माह तक उपत सूचना मासिक बिलों के साथ उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो फर्म को ब्लेक लिस्ट करने की कार्यवाही की जा सकती है—

32. विचीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार — बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सार्वज्ञता रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी।  
अर्थात् :-

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ; और (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में ब्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा :

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अपिकाल अंकगणितीय त्रोपी।

उत्तरार्द्ध प्रक्रिया में भासा ऐसे गति कोई भी लाभित -

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या

(छ) सूचना का ऐसा दुर्घटनाक प्रकार हो सकता है कि किसी वित्तीय या अन्य फायदा अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का काइ प्रस्ताव नहीं करेगा।  
 (ख) सूचना का ऐसा दुर्घटनाक प्रकार हो सकता है कि किसी वित्तीय या अन्य फायदा अप्रत्यक्ष रूप से किसी वित्तीय या अन्य फायदा अस्वित्त रूप से प्रविष्ट रहने के द्वारा गमराह करता

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्कर्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आवश्यक में लिज्ञ नहीं होगा।

(घ) उपापन संरक्षा और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी

- का उपापन प्रक्रिया में अनौचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (द) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीड़न में लिप्त नहीं होगा।
- (ज) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण को या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
- (क) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
- (ल) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमण्ग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

#### 34. हित का विरोध –

- (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
- (2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निन्नालिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :–
- (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वितीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।
- (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनीतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप और सञ्चयनाएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।
- (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वितीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की रिश्तति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।
- (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।
- (ज) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं कि—
- (क) इन तक सीमित नहीं है यदि,—
- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार हैं।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुँचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव लाने की स्थिति रखता हो।

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से समिति नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

(च) बोली लगाने वाले या उससे संबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन को विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तेयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसोटी और बोली प्रणालों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तेयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

35. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निरस्तारण – प्रथम अपील प्राधिकारी विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान एवं हितीय अपील प्राधिकारी शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान व अध्यक्ष, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन है।

1 अपील:- (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यक्ति है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिस पर वह व्यक्ति है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथारिति, लोप की तारीख से दस दिनक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अहता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टरीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र-र) में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकती जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकती जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जोन का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों और पूर्व-अहंता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निवध्यों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्ययन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल करने की तरीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधी के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यक्ति है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवधारणा से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तरीख से पन्द्रह दिवस के भीतर यज्य सरकार द्वारा इस निमित पदभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को हितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि व्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों और पूर्व-अहंता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निवध्यों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्बव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तरीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए काण्ण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अहंता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रायेक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्लास करेगी या जो विधि के प्रबल्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़यन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

1. अपील का प्रकल्प – (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रकल्प (प्रपत्र – र) में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कार्यित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।  
(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यवित्तशः या रजिस्ट्रीकूल डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

2. अपील फाइल करने के लिए फीस – (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पाँच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।  
(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

3. अपील के निपटारे की प्रक्रिया – (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।  
(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी, –

(क) उसके समक्ष उपरिथित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और  
(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।


(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।  
(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

36. कम्प्यूटर उपकरणों को हमेशा चालू हालत में रखा जाएगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगने की संभावना होगी तो निविदादाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।
37. स्थापित किए जाने सभी उपकरण निविदा में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिए।
38. प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाला नया टोनर/नया रिफल प्रथम बार सफल निविदादाता द्वारा दिया जाएगा। तत्पश्चात् विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।
39. कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम्प्यूटर सिस्टम अनुमोदित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप है। जहां सिस्टम विहित स्पेसीफिकेशन के स्तर के अनुरूप नहीं पाया जाएगा, उसे अनुरूप कराया जाएगा।
40. यदि कम्प्यूटर सिस्टम इस विभाग की संसुष्ठि के अनुसार कार्य नहीं करता है तो निविदादाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जाएगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नहीं कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा निरस्त (Reputiate) किया जा सकेगा।
41. उपकरण स्थापित करने के लिए ख्याल एवं बिजली की फिटिंग की व्यवस्था निगम द्वारा की जाएगी। निगम यह सुविधा भी प्रदान करेगा कि कार्यालय बंद होने के बाद उपकरण ताले में रखें जा सकें।
42. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी इस निगम की नहीं होगी। अतः यदि निविदाकार चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।
43. निविदाकार को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवाएं जारी रखनी होगी। किसी भी माह में 04 कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जाएगा। यह भी पूर्व सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह ऑपरेटर की गैर हाजरी के कारण या किसी खराबी के कारण हो तो देय राशि में से प्रतिदिन 200/- रुपये की कटौती की जाएगी।
44. कम्प्यूटर सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
45. यदि उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर किसी कारण सेवाएं प्रदान नहीं करता है तो सफल निविदादाता को प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर द्वारा सूचित करने पर 07 दिवस में अन्य व्यक्ति की सेवाएं उपलब्ध करानी होगी अन्यथा सफल निविदादाता पर उचित पैनलटी लगाए जाने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर का होगा।
46. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूच्यना से समय-समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/बोलीदाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
47. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किए जाने पर NEFT/RTGS से किया जाएगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जाएगा।

48. वित्तीय निविदा (Price Bid) प्रत्येक ई-निविदादाता द्वारा ई-निविदा प्रपत्र के संलग्न एक्सल फोरमेट (BOQ) में ही प्रस्तुत की जाएगी ।
49. केवल ई-निविदा फार्म के साथ संलग्न प्रपत्र 'ब' (BOQ) में ही मुद्रक अपनी दरें दर्शाएँ । निगम के प्रोफार्म के अतिरिक्त अन्य प्रोफार्म में दी गई दरें मान्य नहीं होंगी । प्रपत्र 'ब' (BOQ) में दी गई दरें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट निर्धारित प्रोफार्म में अंकित कर दी गई हैं ।
50. यदि बाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा ।

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तों से प्रतिबन्धित रहेंगा/रहेंगे ।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर



## राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन लि.

नियम मुख्यालय जयपुर पर कम्प्यूटर मध्य ओपरेटर सेवा हेतु निविदा प्रस्ताव

फर्म का नाम व पता :-

### वितीय निविदा

#### प्रपत्र "ब"

क्रम संख्या	सेवा का नाम/ श्रिंखला की श्रेणी	श्रमिकों को देय परिश्रमिक जो किए प्रयत्नित न्यूनतम मजदूरी को दर से कम नहीं होगा मध्य संख्या		नियोक्ता का अंशदान		करभूट विधाया प्रतिमाह प्रति इकाई	कुल राशि (5+6+7)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ट प्रति माह प्रति इकाई	GST दर प्रतिशत	कुल राशि (8+9+ 10+11)
		न्यूनतम मजदूरी दर प्रति इकाई	नियिकाताता प्रति माह प्रति इकाई	EPF राशि रु	ESI राशि रु					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Computer with Operator (higher skilled)	16	7774	—	—	—	—	—	12	—

- नोट :- 1. निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रपत्र (BoQ) में वितीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा  
अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।  
2. निर्धारित प्रपत्र (BoQ) के कॉलम संख्या 5 से 11 तक आवेदक द्वारा भरे जाने हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ..... का विगत तीन वित्तीय वर्षों का टर्न ओवर निन्नातुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की Audited Balance Sheet/Profit and Loss A/C संलग्न है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि ₹ लाखों में)
1	2015–16	
2	2016–17	
3	2017–18	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

अथवा

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि ₹ लाखों में)
1	2016–17	
2	2017–18	
3	2018–19	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

दिनांक


अंकेक्षक / सनदी लेखाकार का  
नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या

### ई-निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने प्लेसमेंट कार्य/सेवा इकाई की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति सेवा इकाईयों के सतोंष प्रद कार्य नहीं करने होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है एवं आपूर्ति सेवा इकाईयों का EPF/ESI अशदान संबंधित विभागों में हमारे द्वारा समय पर जमा कराया गया है। इसमें हम Defaulter नहीं हैं यदि उक्त तथ्य गलत पाया जाता है, तो संबंधित विभाग हमारे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर हमारी जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही कर सकता है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हम किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulter का कोई वाद लखित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर



प्रपत्र 'श'

AUTION : USE "FCMBR" MENU OPTION IN FINACLE INSTEAD OF "TM"

Bank Copy

## punjab national bank

DIST. NO.

Branch

Institute Name

Institute ID

Rajasthan Medical Services Corporation, Jaipur
RMSCJ - A/c No. 2246002100024414

Date of Deposit 

--	--	--	--

 DD MM YY

## DETAILS OF THE SUPPLIER

Supplier Name

Tender Ref. No.

Type of Deposit  
Select any one out of - Tender Fees/EMD/SD/Tender Processing fees/Others

Mobile No.

Cash Deposit:

Denomination	₹	Ps
1000 *		
500 *		
100 *		
50 *		
20 *		
10 *		
5 *		
Coins *		
Total		

Cheque Deposit:

Chq No	Date of Chq	Name of Bank	₹	Ps

Total fee payable ₹

Commission ₹

Total amount ₹

-	0	0	0	0

Amount (in words): ₹

Name of the Depositor

Signature

Address for communication

For Bank use only

Acknowledgement

Cashier/Officer

Customer Copy

## punjab national bank

DIST. NO.

Branch

Institute Name

Institute ID

Rajasthan Medical Services Corporation, Jalpur

RMSCJ - A/c No. 2246002100024414

Date of Deposit 

--	--	--	--

 DD MM YY

## DETAILS OF THE SUPPLIER

Supplier Name

Tender Ref. No.

Type of Deposit  
Select any one out of - Tender Fees/EMD/SD/Tender Processing fees/Others

Mobile No.

Cash Deposit:

Denomination	₹	Ps
1000 *		
500 *		
100 *		
50 *		
20 *		
10 *		
5 *		
Coins *		
Total		

Cheque Deposit:

Chq No	Date of Chq	Name of Bank	₹	Ps

Total fee payable ₹

Commission ₹

Total amount ₹

-	0	0	0	0

Amount (in words): ₹

Name of the Depositor

Signature

Address for communication

For Bank use only

Acknowledgement

Cashier/Officer

राजस्थान

**FORM NO. 1 /As per rule 83 of RTI/**

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012**

Appeal No. .... of .....

Before the ..... [First/Second Appellate Authority]

**1. Particulars of appellant:**

(i) Name of the appellant:

(ii) Official Address, if any:

(iii) Residential address:

**2. Name and address of the respondent(s):**

(i)

(ii)

(iii)

**3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved.**

**4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:**

**5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:**

**6. Ground of appeal:**

(Supported by an affidavit)

**7. Prayer:**

Place ..... Date .....

Appellant's Signature